




भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड Railway Board



Office Order No.18 of 2024

Sub : Marking of Attendance through Aadhar Enabled Biometric Attendance System (AEBAS) and Punctuality of Officials in Board's Office.


Instructions on adherence to office timings and marking of attendance through AEBAS by the officials working in Board's Office and proper monitoring of Biometric Attendance System by supervisors was last issued vide Office Order No.68 of 2023. However, it has been observed that percentage of Employees(both Officers/Staff) coming to office in time has considerably declined. There are also cases where officials are not marking attendance in AEBAS. This has been viewed seriously by the Administration.

2. After the implementation of Aadhar Enabled Biometric Attendance System(AEBAS), there is no change in the instructions relating to office hours, late attendance etc. which inter alia provides that half-a-day's Casual Leave will be debited for each day of late attendance. However, late attendance upto an hour not more than two occasions in a month and on justifiable grounds may be condoned by the competent authority. In addition to debiting Casual Leave (or L.A.P. when no Casual Leave is available), disciplinary action can also be taken against the railway servants who are habitually late. Early leaving is also to be treated in the same manner as late coming.

3. Instructions for proper monitoring of attendance/punctuality of officials working in Board's Office issued vide Office Order No.107 of 2016 may be adhered to. To maintain the punctuality in office, concerned controlling officer may report the matter regarding staff who are habitual late comer to ERB sections. Any issues related to registration/marketing of attendance in AEBAS or monitoring of attendance may be reported to Sr. Programmer/RBCC.


4. The above instructions may be adhered to by all officers/staff without fail.

No.2024/O&M/9/1
Dated:- 23.04.2024


(T. Srinivas)
Joint Secretary/ Railway Board
Email_id:t.srinivas1@gov.in
Tele No. : 011-47845551

All Officers/Branches in Board's Office, COFMOW and Dayabasti, New Delhi.

Copy to : EDPG/MR, EDPG/MoSR(D), EDPG/MoSR(J)



भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड Railway Board

2024 का कार्यालय आदेश सं. 18

विषय : बोर्ड कार्यालय में अधिकारियों का आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली द्वारा उपस्थिति दर्ज करना और समयपालन

बोर्ड कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों द्वारा कार्यालय समय का पालन करने तथा आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने और पर्यवेक्षकों द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली की उचित निगरानी संबंधी अनुदेश अंतिम बार 2023 के कार्यालय आदेश सं. 68 के तहत जारी किए गए थे। बहरहाल, हाल ही में यह देखा गया है कि समय पर कार्यालय आने वाले कर्मचारियों (दोनों अधिकारियों/कर्मचारियों) के प्रतिशत में अत्यधिक गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे मामले भी हैं, जहां अधिकारी आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। इसे प्रशासन द्वारा गंभीरता से देखा गया है।


2. आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू होने के बाद, कार्यालय समय, देर से उपस्थिति आदि से संबंधित अनुदेशों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि देर से उपस्थिति के प्रत्येक दिन के लिए आधे दिन का आकस्मिक अवकाश काटा जाएगा। बहरहाल, सक्षम प्राधिकारी द्वारा न्यायसंगत आधार पर एक महीने में दो बार एक घंटे तक देरी से उपस्थिति माफ की जा सकती है। आकस्मिक अवकाश काटने के अलावा (या औसत वेतन अवकाश जब कोई आकस्मिक अवकाश उपलब्ध नहीं है), आदतन देरी से आने वाले रेल सेवकों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है। जल्दी जाने वालों के साथ भी उसी तरह से व्यवहार किया जाएगा जैसा देर से आनेवालों के साथ।

3. बोर्ड कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों की उपस्थिति/समयपालन की उचित निगरानी हेतु 2016 के कार्यालय आदेश सं. 107 संबंधी अनुदेशों का पालन किया जाए। संबंधित अधिकारी आदतन देरी निगरानी हेतु से आने वाले कर्मचारियों के संबंध में ईआरबी अनुभागों को रिपोर्ट करें। आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में उपस्थिति दर्ज करने/लगाने या उपस्थिति की निगरानी से संबंधित किसी भी मुद्दे की सूचना वरिष्ठ प्रोग्रामर/आरबीसीसी को दी जाए।

4. सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उपर्युक्त अनुदेशों का सदैव अनुपालन किया जाए।

सं. 2024/ओएंडएम/9/1

दिनांक: 23.04.2024



(टी.श्रीनिवास)

संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड

ईमेल आईडी: t.srinivas1@gov.in

टेलीफोन नं. 011-47845551

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो और दयाबस्ती, नई दिल्ली के सभी अधिकारी और शाखाएं।

प्रतिलिपि प्रेषित:

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्यमंत्री (डी), कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्यमंत्री (जे)